(वाद संख्या–5546/16)

14.08.2019

परिवादी, राम पदारथ सिंह, अपने अधिवक्ता श्री कमल नयन प्रसाद सिंह, के साथ उपस्थित हैं साथ ही साथ श्री अविनाश गौरव, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बाढ़ भी उपस्थित हैं।

विद्युत कार्यपालक अभियंता, बाढ़ की ओर से आयोग के दिनांक–07.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में परिवादी, श्री राम पदारथ सिंह के KV विद्युत उप केन्द्र, मोकामा के बगल में स्थित उनके सात कट्ठे भूमि के उपर से 11 KV Road side Feeder में कार्यरत 11 KV line को हटाने के संबंध में कुल 2,91664/– रुपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया। परिवादी को उक्त प्राक्कलन की प्रति उपलब्ध करा दी गयी है।

परिवादी का कथन है कि वह पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि का भुगतान करने में असमर्थ है तथा उसकी ओर से यह सुझाव दिया गया है कि वह वहाँ पर स्थित अपनी सात कट्ठे जमीन को SBPDCL को विक्रय हेतु तैयार है।

परिवादी, विद्युत कार्यपालक अभियंता, बाढ़ द्वारा आज समर्पित प्राक्कलन के संबंध में लिखित रूप से आपत्ति व जमीन क्रय संबंधी अपने प्रस्ताव को विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बाढ़ को यदि देना चाहते हों तो नियमानुसार देकर उसकी प्रति दिनांक–18.12.2019 के पूर्व आयोग में दाखिल कर सकते हैं।

विद्युत कार्यपालक अभियंता का कथन है कि परिवादी के भूमि विक्रय प्रस्ताव पर विचार करने हेतु करीब तीन माह का समय दिया जाय।

आज परिवादी एवं परिवादी के अधिवक्ता तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बाढ़ की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि की उपस्थिति के संबंध में अलग से नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

परिवादी तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बाढ़ उक्त तिथि को उपस्थित रहेंगे।

संचिका दिनांक–18.12.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>